न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–519/2026
बबलू उर्फ रविन्द्र प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 21/2026, धारा 115(2),352,351(3),109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना बल्देव, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **बबलू उर्फ रविन्द्र** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र सतेन्द्र को रास्ते में मोनू गौतम के घर के सामने रोक कर बिना वजह गालीगलौज करना, विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना तथा रवि, जुगेन्द्र व निशान्त के कहने पर सभी के समान आशय से आवेदक/अभियुक्त रविन्द्र द्वारा वादी के पुत्र सतेन्द्र को जान से मारने की नीयत से गोली चलाना, जिससे गोली सतेन्द्र के दाहिने पैर में घुटने के पास लगना, जिससे वह घायल हो जाना तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देकर चले जाना, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा विष्णु पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा व गलत फँसाया गया है, उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा और कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। चुटैल सतेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 19.01.2026 को 12.45 पी०एम० पर जिला अस्पताल, मथुरा में हुआ, जिसमें सतेन्द्र को सीधे घुटने में 2x1cm. का कुचला हुआ घाव व सीधी टांग में सीधे घुटने से 5 सेमी० नीचे 2x2cm. का कुचला हुआ घाव पाया जाना परीक्षण रिपोर्ट में लिखा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी गवाह का नाम अंकित नहीं है। चुटैल को आना दर्शायी गयी तथाकथित चोटें साधारण प्रकृति की हैं, जिनसे आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। चुटैल के कोई भी चोट शरीर के वाइटल पार्ट पर नहीं है। चिकित्सक द्वारा चुटैल की चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी हैं। पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त से तमंचे की झूंठी बरामदगी दर्शायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त को घटना किये जाने का कोई हेतुक नहीं है। अभियोजन कथानक चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाता है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है, जिनमें वह जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र सतेन्द्र को रास्ते में मोनू गौतम के घर के सामने रोक कर बिना वजह गालीगलौज करना, विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना तथा सहअभियुक्तगण रवि, जुगेन्द्र व निशान्त के कहने पर सभी के समान आशय से आवेदक/अभियुक्त रविन्द्र द्वारा वादी के पुत्र सतेन्द्र को जान से मारने की नीयत से गोली चलाना, जिससे गोली सतेन्द्र के दाहिने पैर में घुटने के

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.25 17:17:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पास लगना, जिससे वह घायल हो जाना तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देकर चले जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार चुटैल को आग्नेयास्त्र से चोटें कारित की गयी हैं।

वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल कर जमानत प्रार्थनापत्र के कथनों का खण्डन किया गया है तथा तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चुटैल सतेन्द्र को घेरकर जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी तथा आवेदक/अभियुक्त बबलू उर्फ रवीन्द्र पर घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है तथा सभी अभियुक्तगण का एक ही उददेश्य था, सभी ने मिलकर घटना कारित की है।

आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से चुटैल बताये गये मजरूब सतेन्द्र की कोई गम्भीर अथवा प्राणघातक होना उल्लिखित नहीं है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **बबलू उर्फ रविन्द्र** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–25.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.एस.